मूल हिन्दी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *392
20.03.2020 को उत्तर के लिए

पर्यावरण के संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि

***392. श्रीमती गोमती साय:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कोई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि निर्धारित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

'पर्यावरण के संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधियों' के संबंध में श्रीमती गोमती साय द्वारा दिनांक 20.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 392 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत परियोजना के प्रस्तावकों पर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (सीईआर) है। किसी परियोजना या कार्यकलाप को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय निर्धारित दरों पर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (सीईआर) विनिर्दिष्ट किया जाता है।

(ग): सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय उन परियोजनाओं और कार्यकलापों के आस-पास के क्षेत्रों में पर्यावरण के संरक्षण हेतु कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (सीईआर) निर्धारित करना शामिल है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को पूरा करने हेतु निधियां चिह्नित करना कंपनियों का दायित्व है। सीएसआर कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, प्राकृतिक संसाधनों और पारि-तंत्रों का सरंक्षण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम और प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित समीक्षाओं, स्थल सत्यापन, उपयोग प्रमाण-पत्र आदि के माध्यम से की जाती है।